[निजी प्रसार के लिए]

सी.एच.आर.आई.

अंक ९ नवंबर २०१०

लोक पुलिस

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

मासिक

"प्रशिक्षण पद्धति और विषय वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक"

मध्य प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण विंग में ए.आई.जी. के पद पर कार्यरत श्री विनीत कपूर से पुलिस व प्रशिक्षण सुधार और मानवाधिकार संबंधित मुद्दों पर ज़ीनत मलिक की खास बात–चीत।

आप विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रमुख के रूप में कई सालों से कार्यरत हैं, प्रत्येक स्तर के प्रशिक्षण का उनकी गुणवत्ता के आधार पर आप किस प्रकार मूल्य निरूपण करेंगे?

जहां तक पुलिस प्रशिक्षण का सवाल है ये विभिन्न स्तर के होते हैं जो विभिन्न रैंक के आधार पर संचालित होते हैं। हर स्तर के अनुसार इनकी गुणवत्ता अलग होती है। जैसे अधिकारियों, जिनमें आई.पी.एस. अधिकारी होते हैं उनकी प्रशिक्षण गुणवत्ता हर तरह से उच्च कोटि की होती है क्योंकि इस स्तर पर राष्ट्रीय मानक निर्धारित हैं तथा इसका क्रियान्वयन उत्कृष्ट स्तर के संसाधनों व संचालकों के माध्यम से होता है। उसके बाद मध्य स्तर के अधिकारी हैं जिसमें डी.एस.पी. तथा उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं इनके प्रशिक्षण में विभिन्न प्रदेशों में प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता वहां पर उपलब्ध प्रशिक्षण संसाधनों के आधार पर अलग अलग प्रकार की हैं। जहां पर प्रशिक्षण संस्थायें साधन संपन्न तथा प्रशिक्षक सजग हैं वहां पर प्रशिक्षण बेहतर है। अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता के सुधार हेतु काफी गुंजाइश है। विगत दिनों में इस क्षेत्र में काफी चिंतन हुआ है तथा बी.पी.आर. एण्ड डी. एवं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के संयुक्त प्रयास से उप पुलिस अधीक्षक तथा उप निरीक्षक के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के मानक निर्धारित हो रहे हैं। प्रदेश सरकारों से इन मानकों के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने की अपेक्षा की जा रही है। इसके अच्छे परिणाम निश्चित ही आगामी वर्षों में देखने को मिलेंगे।

तीसरा स्तर आरक्षकों(कांस्टेबलों) के प्रशिक्षण का होता है जहां बहुत सुधार की गुंजाइश है। इसका एक कारण है कि इनकी संख्या बहुत अधिक होती है जिससे प्रशिक्षु–प्रशिक्षक अनुपात ठीक नहीं रह पाता। जैसे कई प्रदेशों की प्रशिक्षण संस्थाओं में एक कक्षा में 100 या इससे अधिक आरक्षक एक साथ प्रशिक्षित होते हैं। साथ ही प्रशिक्षण संसाधनों की कमी के कारण यह संस्थाऐं प्रभावी प्रशिक्षण देने में असमर्थ रहती हैं। पाठ्यक्रम में भी आउटडोर तथा इनडोर विषयों के अनुपात में विभिन्न प्रदशों में काफी अंतर हैं। मानव व्यवहार तथा पुलिस आचरण, सामाजिक परिवेश का बोध तथा संवेदनशीलता, संवाद कौशल, प्रजातांत्रिक व्यवस्था तथा प्रजातंत्र में लोकसेवक एवं पुलिस की भूमिका इत्यादि ऐसे विषय हैं जो वर्तमान समय में एक प्रजातांत्रिक देश की नागरिक पुलिस के लिये आवश्यक हैं। परंतु, अनेकों स्थानों पर इन विषयों का समावेश उचित मात्रा में आरक्षकों के पाठ्यकम में नहीं है।

हांलाकि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तथा बी.पी.आर एण्ड डी. ने हाल ही में सभी राज्यों के प्रशिक्षण प्रमुखों से अपनी राय मांगी थी और पूरे देश में प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने की बात पर चर्चा भी आयोजित की थी। यहां इसकी आवश्यकता का अवलोकन किया गया था और इसके लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करके सभी राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में लागू करने हेतु भेजा है। यह नया पाठ्यक्रम काफी बेहतर है इसके लागू होने से प्रशिक्षण विषयों में सुधार आयेगा तथा पुलिस की भूमिका में अपेक्षित परिवर्तन लाने हेतु यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभकारी सिद्ध होगा। फिर भी मेरा ये मानना है कि आरक्षक स्तर के प्रशिक्षण को राज्य सरकारों को और अहमियत तथा संसाधन देने होंगे तथा इन संस्थाओं में पदस्थ प्रशिक्षकों की गुणवत्ता तथा प्रतिबद्धता दोनों पर ही ध्यान देना होगा तभी आरक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है।

आपके अनुसार प्रशिक्षण में कमियां कहां हैं और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है?

नागरिक पुलिस की भूमिका को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए तथा कौन कौन से आयामों में उचित दृष्टिकोण, उचित ज्ञान, तथा उचित कौशल का विकास किया जाना चाहिए, इन प्रशिक्षण आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन विषयों का समावेश हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता के साथ सभी प्रदेशों की प्रादेशिक पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में नहीं हो पाया है। इसका दुष्प्रभाव प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा उसकी धरातल के कार्य से जुड़ी उपयोग मूलकता पर पड़ता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विस्तृत ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के मान से होना चाहिए, जिसमें एक प्रशिक्षु के प्रशिक्षित होने के उपरांत उससे अपेक्षित कार्यक्षमता तथा कार्य दक्षता के अनुसार प्रशिक्षण विषयों तथा प्रशिक्षण विधाओं का चुनाव कर प्रशिक्षण पाठ्यकम का निर्माण तथा प्रशिक्षण प्रबंधन किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण में 'सॉफ्ट स्किल' पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों के दृष्टिकोण और व्यवहार कुशलता पर बल देना चाहिए। उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बोध बदलने की आवश्यकता है। समाज के कमजोर तबकों महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धों के विरूद्ध होने वाले अपराधों तथा सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी भी हमारे देश की प्रजातांत्रिक पुलिस व्यवस्था के लिये आवश्यक है। चूंकि यह विषय सीधे मानव अधिकारों से भी जुड़े हुए हैं अतः प्रशिक्षण में इन विषयों का प्रभावी समावेश एवं इनको पढ़ाये जाने की रोचक तथा नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों का समावेश करना भी आवश्यक है। एक जन कल्याणकारी राज्य में समाज जिस प्रकार बदला है उसके अनुसार पुलिस – प्रशिक्षण के ओरिएन्टेशन को बदलना भी आवश्यक है।

इसके अलावा जहां प्रशिक्षण के वास्तविक पक्ष का सवाल है हमें फोकस बदलने और इसे अधिक उपयोगिता मूलक बनाने की आवश्यकता है। जैसेः स्टैमिना, धीरज तथा चारित्रिक क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान और योग के प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए, यू.ए.सी. तथा निहत्थी लड़ाई को सीखने पर बल देना चाहिए, समग्र रूप से अच्छे स्वास्थ्य तथा फिटनेस को बढ़ाने पर प्रशिक्षण में बल देना चाहिए जबकि हम सर्वाधिक बल ड्रील पर देकर सोचते हैं कि आउटडोर प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। इस प्रवृति को बदलने की आवश्यकता है।

अनेकों पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में आज भी पुराने हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि इतने आधुनिक हथियार आ चुके हैं। इसलिए नए और छोटे हथियारों का उपयोग भी सिखाया जाना चाहिए। सभी प्रशिक्षणार्थियों को ड्राईविंग और कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

साथ ही रोज़मर्रा की पुलिसिंग, पुलिस प्रक्रिया तथा कार्य पद्धति पर बल देने की आवश्यकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की मान्यता कहां कितनी है यह आंकने के लिए कंप्यूटर सिखाना आवश्यक है।

श्री विनीत कपूर

क्या आपके अनुसार प्रशिक्षकों में उचित गुण कौशल की कमी है? इसके क्या कारण हैं और इसमें सुधार के क्या उपाय हैं?

हां, हमारे प्रशिक्षकों के गुणकौशल में कमी है। दरअसल, अधिकतर प्रशिक्षक हमारे फील्ड अफसर होते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यवहारिक जानकारी के कारण अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं। लेकिन हर योद्धा अच्छा गुरू भी हो यह आवश्यक नहीं, इसलिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

प्रशिक्षण पद्धति और प्रशिक्षण विषय–वस्तु पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण से जुड़े हुए दृश्य व श्रृव्य माध्यमों को विकसित करने की आवश्यकता है। कानूनी पहलुओं तथा पुलिस कार्य व व्यवहार से संबंधित वर्कबुक, आपसी चर्चा, समूह कार्य, केस स्टडीज़, सिमूलेशन एक्सर्साइजेस, वास्तविक जीवन से संबंधित प्रकरणों को तैयार कर उस पर रोल प्ले इत्यादि प्रशिक्षण माध्यमों का इस्तेमाल करने से प्रशिक्षण अधिक रूचिकर तथा प्रभावी बन सकता है। इन सब कार्यो को करने के लिये संसाधनों के अतिरिक्त प्रशिक्षकों के कौशल को बढ़ाना आवश्यक है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि उनके प्रशिक्षण कौशल को विकसित किया जा सके।

केन्द्र द्वारा दिये जा रहे आधुनिकीकरण अनुदान का एक भाग प्रशिक्षण के लिए भी होता है। हांलाकि अवसंरचना पर काफी अधिक बल दिया जाता है लेकिन क्या आपके विचार में इस ओर उतना ध्यान दिया जाता है जिसकी इसे आवश्यकता है?

मेरे विचार में सभी राज्य इस ओर

(शेष पृ ट२ पर)

...पृष्ट १ का शेष

अवश्य ही ध्यान दे रहे हैं। अभी केन्द्र ने एक अच्छा अनुदान इसके लिए दिया है। अवसंरचना में सभी कुछ शामिल होता है प्रशिक्षण संस्थान की बिल्डिंग, प्रशिक्षणार्थियों के बैठने और रहने की जगह, जिस ग्राउंड पर वे विभिन्न अभ्यास करेंगे वह ठीक होना चाहिए। इसके अलावा अगर कारतूस कम हैं या हथियार नहीं हैं तो पहले इसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। निश्चित ही आधुनिकीकरण के अंतर्गत इस क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है। समग्र रूप से पुलिस प्रशिक्षण उन्नयन योजनाओं का निर्माण कर प्रशिक्षण के उन्नयन हेतु संसाधनों का प्रवाह बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

शायद आप जानते हों कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव भी कुछ राज्यों में पुलिस के लिए मानवाधिकार प्रशिक्षण करती है। 'मानव अधिकार' शब्द सुनते ही पुलिस में संकोच पैदा हो जाता है। अधिकतर पुलिस अधिकारियों का यह मानना है कि अच्छी पुलिसिंग और मानव अधिकार एक साथ नहीं रह सकते, इस पर आपके क्या विचार हैं?

पुलिस विभाग में व्याप्त इसी सोच ने मुझे मानवाधिकार संबंधित गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया ताकि मैं यह समझ सकूं कि क्या वास्तविक रूप से मानव अधिकार पुलिसिंग के विरूद्ध है या इन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करना चाहिए। आम तौर पर कई पुलिसकर्मी मानव अधिकार को पुलिस विरोधी समझते हैं। जबकि पुलिस का काम तो अपराध को रोकना और जनता के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने में सहायता करने का है। हर व्यक्ति को मानवाधिकार प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। और क्योंकि पुलिस सरकार की एजेंट है इसका भी यह दायित्व है कि वह मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करे। मैं प्रशिक्षण के दौरान इसे प्रशिक्षणार्थियों को ऐसे समझाता हूं– पहली परिस्थिति में अगर आप ड्युटी पर हैं और दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो और अगर आपने किसी को दो थप्पड़ मार दिया तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा। दूसरी परिस्थिति में आप घर जाकर वर्दी उतारकर रख देते हैं, पड़ोस में लड़ाई होती है और बीच बचाव में आपने किसी को मार दिया तो यह केवल अपराध होगा क्योंकि वहां आप राज्य के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि एक व्यक्तिगत हैसियत से पड़ोस के झगडे में किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। पुलिस सरकार के एजेण्ट के रूप में कई मर्यादाओं तथा कानूनों से बंधी है इसे हर समय और स्थान पर कानून सम्मत कार्य करते हुए शासन का प्रतिनिधित्व करना है। यदि कार्य के दौरान पुलिस कानून में वर्णित सीमाओं से बाहर जाकर किन्हीं निजी व्यक्तियों के अधिकारों पर अतिक्रमण करती है तब पुलिस कानून सम्मत कार्य न करते हुए शासन के प्रतिनिधित्व के दौरान मानव अधिकारों के हनन की दोषी होती है। चुंकि बल का उपयोग पुलिस के कर्तव्यों में कानूनी परिधियों के अंतर्गत शामिल है इसलिये बहुधा ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं जब पुलिस अपनी इस सत्ताधारी परिस्थिति का उपयोग कानून की सीमाओं के बाहर भी कर देती है। ऐसे अवसरों पर पुलिस पर मानव अधिकार उल्लंघन के दोष दिये जाते हैं। औपनिवेशिक या गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में हो सकता है इस प्रकार आम आदमी के अधिकारों पर शासकीय एजेंसियों का अतिक्रमण ग्राह्य हो परंतु एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस को अपने कानूनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आम आदमी के कल्याण तथा समाज में सुरक्षा के वातावरण को बनाये रखने की ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस बारे में विरोध इसलिए भी है कि पुलिस अपने काम के लिए शॉर्ट–कट का उपयोग करने लगी है, जिसमें तुरंत परिणाम प्राप्त करने हेतु नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा पर अतिक्रमण को बहुधा मान्य मानकर कार्यवाही कर दी जाती है। कई बार आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत तुरंत परिणाम प्राप्त करने की परिस्थितियां निर्मित होती हैं और ऐसी परिस्थितियों के कारण पुलिस की कार्य संस्कृति में इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।

आपके अनुसार मानवाधिकारों की सुरक्षा में पुलिस की क्या भूमिका है?

पुलिस का काम है मानवाधिकारों की सुरक्षा करना। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जो उसे जन्म से प्रदत्त है। समाज में इन अधिकारों का हनन व्यक्ति आपसी कार्य व्यवहार के दौरान करते हैं। इनमें से ऐसे अधिकारों पर होने वाले अतिक्रमणों और प्रहारों को अधिकतर आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत संबोधित किया जाता है। चूंकि इन अधिकारों की रक्षा हेतु तथा इन अधिकारों के हनन की परिस्थितियों में योग्य कार्यवाही हेतु पुलिस कानूनी रूप से कर्तव्यबद्ध है, अतः हम यह कह सकते हैं कि मानव को प्रदत्त मूलभूत अधिकारों के हनन की परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका अहम् है। पुलिस इस क्षेत्र में काफी प्रभावी कार्य करती भी है। जैसा कि मैंने पहले कहा शासन का प्रतिनिधित्व करने वाली कानून प्रवर्तन एजेन्सी के रूप में कई बार पुलिस कार्य करने वाले कई व्यक्ति स्वयं को इन परिस्थितियों में पाते हैं जब वह आम जन के उन मूलभूत अधिकारों पर अपनी कार्यवाही के दौरान कानूनी सीमा से बाहर जाकर अतिक्रमण कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब कुछ पुलिसकर्मी अपने कानूनी कार्य के दौरान कानूनी मर्यादाओं के बाहर जाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा को बाधित करते हैं तो सम्पूर्ण पुलिस सेवा को मानव अधिकार हनन का दोष मिलता है। यदि समग्र दृष्टि से देखा जाये तो पुलिस का कार्य मानव अधिकार रक्षा का है। यदि प्रत्येक पुलिसकर्मी को कार्य के दौरान अपनी कानूनी सीमाओं तथा मर्यादाओं में रहकर कार्य निष्पादन करने की जिम्मेदारी का अहसास हो तो निश्चित ही पुलिस कार्य के दौरान मानव अधिकार हनन की समस्याओं पर भी काफी रोक लग सकती है।

(नोटः अगले अंक में इस साक्षात्कार का शेष भाग प्रस्तुत किया जाएगा।)

पुलिस और जनता के सम्बन्धों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा-निर्देश

पुलिस को प्रभावशाली और कामयाब होने के लिए अपने इलाके के लोगों का विश्वास और आदर प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा पुलिस–जनता के सम्बन्धों के बारे में दिए गये निर्देश इस संदर्भ में उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो इसके अग्रभागी हैं अर्थात् वे अधिकारी जो थाना स्तर पर कार्यरत हैं। इन दिशा–निर्देशों की जानकारी सभी राज्य सचिवों तथा पुलिस प्रमुखों को दे दी गई है। ये निर्देश पुलिस अधिकारियों को प्रचलित मानवाधिकार मानकों के तहत अपना कर्तव्य पालन में बहुमूल्य सहायता प्रदान करते हैं।

1. जनता द्वारा अपराधों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नम्बर

सभी राज्यों की पुलिस सेवाओं को जनता की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नम्बर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। आयोग ने राज्यों में एकरूपता कायम रखने के लिए इस बात का भी निर्देश दिया है कि सभी राज्य एक ही नम्बर – 1090 को इस काम के लिए उपयोग करेंगे। इसने इसका पक्ष लेते हुए कहा कि:

- यह नम्बर जन उपयोग के लिए समर्पित होना चाहिए और पुलिस कंट्रोलरूम/थाना/सब डिविज़नल ऑफिस में लगा होना चाहिए।
- समूचे राज्य में यह नम्बर टोल फ्री होना चाहिए ताकि दूर के इलाकों और काफी अन्दर के ज़िलों के लोगों तक भी इसकी पहुंच हो।
- जानकारी देने वाले को अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। उनकी पहचान और जांच का परिणाम जानने के लिए एक कोड नम्बर दिया जाना चाहिए।
- अगर जानकारी से किसी अपराध का पता चलता है तो जानकारी देने वाले को जनसेवा भाव के लिए ईनाम के रूप में प्रशंसापत्र दिया जाना चाहिए।

2. अपराधों के रजिस्ट्रेशन और जांच प्रगति संबंधित जानकारी

जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता अवश्य ही कायम रखनी चाहिए। आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि शिकायतकर्ताओं की उनके केस संबंधित जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। इसने कहा है कि:

- किसी संज्ञय अपराध की जानकारी मिलते ही प्रथम सूचना पत्र (एफ.आई.आर.) दर्ज करना चाहिए।
- एफ.आई.आर. की एक प्रति शिकायतकर्ता को देनी चाहिए और इसकी जानकारी केस डायरी में दर्ज की जानी चाहिए।
- अगर शिकायत से किसी संज्ञय अपराध की जानकारी का पता नहीं चलता है तो शिकायतकर्ता को एफ.आई.आर. नहीं दर्ज करने का कारण बताना चाहिए।
- अगर एफ.आई.आर. दर्ज होने के तीन महीने के बाद तक जांच पूरी नहीं होती है तो शिकायतकर्ता को देर होने के विशिष्ट कारणों की लिखित जानकारी दी जानी चाहिए।
- इस जानकारी के दिये जाने का सबूत (पोस्टल या दस्ती पावती) केस डायरी फाईल में लगाना चाहिए।
- अगर जांच एफ.आई.आर. दर्ज होने के 6 महीने के भीतर भी नहीं समाप्त होती है तो शिकायतकर्ता को देर होने के विशिष्ट कारणों की लिखित जानकारी फिर दी जानी चाहिए और इसका सबूत (पोस्टल या दस्ती पावती) केस डायरी फाईल में लगाना चाहिए।
- अगर जांच एफ.आई.आर. दर्ज होने के एक वर्ष के भीतर भी नहीं समाप्त होती है तो जांच अधिकारी द्वारा एक और विस्तृत सूचना रिपोर्ट (मेमो) शिकायतकर्ता को देनी चाहिए जिसमें देर होने के विशिष्ट कारणों का ब्यौरा होना चाहिए। यह सूचना एक ऐसे गज़ैटेड ऑफिसर द्वारा समर्थित होनी चाहिए जो जांच अधिकारी के काम का सीधा निरीक्षण करता हो। उस गज़ैटेड ऑफिसर द्वारा जांच के कारणों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। यह सूचना और पावती रिकॉर्ड केस डायरी फाईल में लगायी जानी चाहिए।
- जैसे ही जांच समाप्त हो इसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए और अदालत में आरोप पत्र दायर करना चाहिए। आरोप पत्र की एक प्रति पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए। अगर किसी कारणवश शिकायतकर्ता मौजूद नहीं हो तो उसके परिवार के किसी सदस्य

(शेष पृष्ट ३ पर)

पुलिस द्वारा अपराधों की जांच

एक अच्छी जांच वह है जो सच के नज़दीक ले जाए और एक कामयाब अभियोजन की स्थापना करे जिससे की अदालत में आरोपी को सज़ा मिल सके। इसकी शुरूआत एक सावधानी से लिखे गए और सावधानी से पढ़े गए एफ. आई.आर. से होती है।

विभिन्न जांच अधिकारियों और एजेंसियों के द्वारा केसों की जांच अलग–अलग तरीके से की जा सकती है। यह अंतर क्यों? राज्य की सर्वश्रेष्ट जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच भी सेन्ट्रल ब्योरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (सी.बी.आई.) से निम्न कोटि की समझी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अधिकतर सुर्खियों में रहने वाले केसों की जांच सी.बी.आई. को ट्रांसफर करने की मांग नहीं होती। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद किसी केस की तकदीर इस बात पर निर्भर करती है कि वह केस जांच अधिकारी की कितनी दिलचस्पी हासिल कर पाता है। सभी केस जांच अधिकारी की नज़रों में या समुदाय के बीच एक समान महत्व नहीं हासिल कर पाते हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का विश्लेषण करें कि एक अच्छी जांच किसे कहा जाता है और क्या कारण हैं जिसकी वजह से सी. बी.आई.जैसे संगठनों को थाना स्तर की जांच पर बेहतरी हासिल है।

- एक आपराधिक केस की शुरूआत एफ.आई.आर. से होती है। यह जांच का आधार होता है और इसी के आधार पर जांच द्वारा अभियोजन का केस तैयार किया जाता है। कोई केस अदालत में अपने पैर तभी जमा पाता है जब एफ.आई.आर. ठीक से दर्ज की गई हो और इसमें अपराध के सभी तत्वों का उल्लेख किया गया हो। अगर एफ.आई.आर. हल्के तौर पर दर्ज की गई हो तो यह हमेशा ही केस को नुकसान पहुंचाती है, जांच को भ्रमित करती है और आरोपी को छुटकारा दिलवाती है।

- जांच एक विशेषज्ञ का काम है और इसके लिए एक तार्किक पद्धति की आवश्यकता होती है। एफ.आई.आर. के उचित अध्ययन और विश्लेषण के बाद जांच अधिकारी को इस जांच के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी होती है जिसमें एफ.आई.आर. के मुख्य बिंदुओं को शामिल किया जाता है। सामान्यतः जांच अधिकारी, जांच की योजना तैयार नहीं करते और इसके लिए विभिन्न प्रकार के तीर या तुक्का वाले तरीके आजमाते हैं। केस डायरी में यह साफ लिखा होना चाहिए कि जांच किस दिशा में हो रही है। कार्य योजना न तैयार करने के कारण समय नष्ट होता है। अन्त में, जांच की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है और आखिरकार आरोपी की रिहाई हो जाती है।

- जांच के लिए पहला दिन सबसे अहम होता है। अपराध की जगह पर कई सबूत निकल कर आते हैं और यह आवश्यक है कि उस जगह को सही समय पर सुरक्षित कर लिया जाए ताकि सबूतों से छेड़–छाड़ न हो सके।

- जांच एक बहु–विषयक कार्य है। अपराध की प्रकृति के अनुसार, विभिन्न एजेंसियों की सहभागिता आवश्यक होती है जैसे कि – फोरेंसिक विशेषज्ञ, क्राईम रिकॉर्ड ब्योरो ताकि अपराध की समान कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली जा सके, इंटेलिजेंस, सेवा प्रदानकर्ता, साइबर क्राईम विशेषज्ञ यहां तक कि अन्तर–राज्यीय इंटेलिजेंस सहायता की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जांच अधिकारी को स्वभाविक पहलुओं और सहायता की जानकारी हो।

- पर्यवेक्षी अधिकारी को केस की उपलब्धियों पर करीब से निगरानी रखनी चाहिए। ऐसे बहुत से स्थानीय स्तर के खतरनाक केस जैसेः हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण तथा फिरौती जिन्हें ऊपर बताई गई किसी एक एजेंसी की मदद से हल किया जा सका।

- जांच एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। थाना स्तर की जांच मामूली किस्म की होने के कई कारण हैं। इस दौरान काम की प्राथमिकता में बदलाव आना, दूसरे दबावपुर्ण और ध्यान आकर्षित करने वाले कार्यों की ज़िम्मेदारी आ जाना जैसेः प्रॉटोकॉल ड्यूटी, कानून–व्यवस्था परिस्थिति तथा दूसरे महत्वपूर्ण आपराधिक मामले। अगर जांच अधिकारी ने किस काम को कब तक पूरा करना है और इसकी क्या कार्य–योजना होगी इसका लिखित ढ़ांचा न तैयार किया हो तो जांच एक समय के अन्तराल के बाद अपना आवेग खो देती है।

- इंटेलिजेंस इकट्ठा करना किसी आपराधिक केस को हल करने की ताकत है। समुदाय से जानकारी तभी मिल सकती है जब जांच अधिकारी का वहां मज़बूत नेटवर्क हो और यह तभी सम्भव है जब भरोसे से नुकसान न हो। इसलिए किसी केस को हल करने के लिए आवश्यक है कि समुदाय के साथ रचनात्मक सम्बन्ध लगातार बना कर रखा जाए। यहां तक कि यह अपराधों को रोकने के लिए भी बेहद आवश्यक है।

- स्थानीय जांच एजेंसी और विशिष्ट जांच युनिट जैसे सी.बी. आई. या राज्य स्तर की सी.आई. डी. के बीच प्रक्रिया संबंधित एक रोचक अन्तर है। स्थानीय पुलिस पहले एफ.आई.आर. के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और इसके बाद सबूत इकट्ठा करती है जबकि विशिष्ट एजेंसियां इसके विपरीत काम करती हैं। गिरफ्तारी के बाद केस में कई अंतर्निहित प्रतिबंध लग जाते हैं– जैसे कि एक निश्चित समय सीमा के अन्दर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तूत करना आवश्यक होता है वर्ना आरोपी को इसका फ़ायदा मिलता है और वह ज़मानत पर छूट सकता है। इसलिए जांच अधिकारी का ध्यान जांच की गुणवत्ता से समझौता कर कम से कम सबूत एकत्रित करने पर होता है ताकि वह आरोप पत्र पेश कर सके। सबसे बढ़कर यह कि अगर जांच में यह पाया गया कि केस झूठा है तो जांच अधिकारी के लिए उसे अदालत में पेश करना कठिन होता है क्योंकि किसी निंदोष को बगैर उचित सबूत के गिरफ्तार करने के लिए भीषण परिणाम भुगतना पड़ सकता है।

- यह समझने की आवश्यकता है कि जैसे एफ.आई.आर. जांच की ओर पहला कदम है उसी प्रकार अभियोजन आखिरी कदम है। यह जांच अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, अभियोग पक्ष के वकील के साथ उनका केस विवरण तथा कोर्ट की आगे की कार्यवाही को सुनिश्चित करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो केस का वांछित परिणाम नहीं निकल सकेगा।

- ईमानदारी, निष्पक्षता, पुर्वाग्रह से स्वतंत्रता, कानून की जानकारी, तार्किक कार्य प्रणाली, उचित तालमेल और विभिन्न संस्थानों से सहायता तथा आरोप पत्र से लेकर अदालत में केस खत्म होने तक कार्यवाही पर ध्यान रखना एक अच्छे जांच के आवश्यक तत्व हैं।

–वीरेन्द्र मिश्रा
अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, मध्य प्रदेश

आपके विचार

मैं उत्तरी दिल्ली में महिला कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हुं और मैंने इस पत्रिका के कई अंक पढ़े हैं। इस माध्यम से मैं यह जानना चाहती हुं कि दिल्ली पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के क्या कोई उपाय हो रहे हैं? हमें वरिष्ठ अधिकारियों से तो उचित मान सम्मान मिलता है लेकिन सहकर्मियों का बर्ताव अच्छा नहीं होता है। मुझे इसका एक कारण हमारा संख्या में कम होना भी लगता है इसलिए इस ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान दिलाना आवश्यक है। आप लोग भी इसमें सहायक हो सकते हैं।

कांस्टेबल, उत्तरी दिल्ली
दिल्ली पुलिस

मैंने लोक पुलिस अपने थाने में कई बार देखा है पर केवल एक बार पढ़ने का अवसर मिला। मैंने इसका पहला अंक पढ़ा था। इसमें मुझे 'काम का मारा कांस्टेबल बेचारा' शीर्षक से छपा लेख काफी पसंद आया था। इसमें हमारी वास्तविक समस्याओं का उल्लेख किया गया था। इसके बाद मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला पर अब मैंने सोचा है कि समय निकालकर नियमित रूप से पढ़ा करूंगा। अगर इसमें हमारी ड्यूटी की अवधि कम करने पर चर्चा की जाए तथा हमारे विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वत को खत्म कैसे करें, मुद्दों पर चर्चा हो तो हमारा मार्गदर्शन हो सकेगा।
वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अगर कोई स्वंय को भ्रष्टाचार से खासकर रिश्वत लेने से दूर रखना चाहे तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि उसे व्यवस्था के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है और उससे दूसरे सहकर्मी अलगाव बना कर रखना पसंद करते हैं।

कांस्टेबल, उद्योग विहार थाना,
गुड़गांव, हरियाणा पुलिस

(नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया गया है)

...पृष्ट २ का शेष

को यह जानकारी दी जानी चाहिए।

3. थाना प्रभारियों की जनता से मिटींग

पुलिस–जनता के रिश्तों को मज़बूत करने के लिए थानाप्रभारी को अपने कार्यक्षेत्र में लगातार मासिक मिटींग करनी चाहिए। इससे लोगों को थानाप्रभारी तक अपनी परेशानियां पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इससे पुलिस को भी लोगों को कानून–व्यवस्था संबन्धी मुद्दों की जानकारी देने का अवसर मिलेगाा। साथ ही अपराधों को रोकने तथा शांति बनाये रखने में उनकी सहायता को सुचीबद्ध करने का मौका भी मिलेगा। आयोग ने इस बात का भी समर्थन किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी थाना प्रभारी के साथ ऐसी मिटींग में भाग लेना चाहिए।

एक प्रजातांत्रिक समाज में, शासन में जनता की भागीदारी बहुत महत्वपुर्ण है। शासन प्रणाली का अहम भाग होने के नाते पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह सामुदायिक आवश्यकताओं को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए सामुदायिक महत्वाकांक्षाओं और अनुकूल पुलिसिंग का उपयोग करे। काम में पारदर्शिता और खुलापन अवरोधों को हटाकर जनता अनुरूप पुलिसिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है।

– नवाज़ कोतवाल

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

दिल्ली के नये कमिशनर का एजेंडा

अपने पूर्व अधिकारियों की तरह दिल्ली के नये कमिश्नर श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता ने भी अपनी कार्य प्राथमिकता और केन्द्र बिन्दु तय कर लिये हैं। उनके अनुसार शहर में कानून–व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने और अधिक मानवीय स्पर्श देने के लिए वह बीट पुलिसिंग की पूरी तरह मरम्मत करेंगे।

अपने अफसरों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने उनके कार्य–उपलब्धियों के अनुसार असमय पदोन्नति देने की बात भी कही है। इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण के लिये ट्रैफिक कानूनों और नियम पालन को सख़्त करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

पुलिस द्वारा दुराचार, भ्रष्टाचार में लिप्त होने और केसों को दबाने की प्रवृत्ती पर असहनीय रूख़ अपनाते हुए उन्होंने साफ़ कर दिया है कि जो पुलिसकर्मी पहले भ्रष्टाचार के आरोपी रहे हैं उनपर नज़र रखा जाएगा और वह स्वयं इन मामलों से निपटने के लिए ऑफिस से अधिक क्षेत्र में काम करेंगें। उन्होंने आम लोगों से भी बहतर पुलिसिंग के लिए सुझाव मांगे हैं।

महिलाओं और बच्चों संबंधित अपराधों को बेहतर तरीके से हल करने के लिए प्रत्येक थाने में महिलाओं के लिए एक खास 'रिसेप्शन डेस्क' होगा और कुछ इलाकों में महिलाओं को ही थाना संचालित करने को कहा जाएगा।

पुलिस प्रमुख की प्राथमिकताएं और केन्द्र बिन्दु जहां सराहनीय हैं वहीं इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि महिलाओं को अधिक सुरक्षित महसूस कराने के लिए वह अपने पुरूषकर्मियों को अधिक सहज और संवेदनशील बनाने पर ध्यान दें। ऐसा न हो कि आम आदमी तक यह संदेश पहुंचे कि– क्योंकि पुलिस में पुरूषकर्मी महिलाओं की परेशानियों को समझने में असक्षम हैं इसलिए महिलाएं ही उनका दर्द बांट सकती हैं। यह इस समस्या का हल नहीं होगा।

महिलाओं को सुरक्षा और सहायता मिलने का विश्वास हर उस पुलिसकर्मी की मौजूदगी से होना चाहिए जो उन्हें किसी भी गली, नुक्कड़, मार्केट, बस व ऑटो स्टैंड पर दिखाई देता है न कि सहायक पुलिस अधिकारी की खोज उन्हें किसी विशिष्ट थाने में करनी पड़े।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, 11 नवंबर 2010)

असुरक्षित वृद्ध लेकिन पुलिस लापरवाह

चंडीगढ़, मुहाली और पंचकूला में हाल के दिनों में वरिष्ठ नागरिकों पर उनके नौकरों द्वारा किये गये हमलों ने इन शहरों में पुलिस के लापरवाही भरे रवैये की पोल खोल दी है। माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा भलाई अधिनियम, 2007 और संबंधित नियमावली के तहत वरिष्ठ लोगों को जान व माल की सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस की एक अहम भुमिका है ।

दरअसल विजिलेंस विंग ने स्थानीय पुलिसकर्मियों का वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता आंकने के लिए एक जांच की जिसके अनुसार 51 वरिष्ठ नागरिकों का साक्षातकार किया गया था। केवल 20 महिलाओं ने कहा कि स्थानीय पुलिस उनका हाल पूछने लगातार आती रही है, जबकि 7 ने बतलाया कि उन्हें कोई पुलिसकर्मी कभी मिलने नहीं आया, 8 ने कहा कि पुलिस विभाग से पिछले चार महीने से लेकर दो सालों में कोई भी मिलने नहीं आया है। मोहाली के एस.एस.पी.ने बताया कि पुलिस ने किरायेदारों के पूर्ववृत्त जांचने के लिए अचानक दर्शन देना शुरू किया है लेकिन नौकरों के दस्तावेज़ जांचने का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा के प्रति पुलिस का रवैया उचित नहीं है खास कर तब जबकि इनसे संबंधित अधिकतर मामलों में अपराधी नौकर ही रहे हों। हांलाकि पुलिस का कहना है कि वह दिसम्बर तक यह जांच पूरी कर लेगी लेकिन यह काफी नहीं है।

माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा भलाई नियमावली 2009 के अनुसारः–

- सेन्ट्रल, पूर्वी तथा दक्षिणी एस.डी.एम. को संभरण ट्रिब्यूनल बना दिया गया है।
- जिला मजिस्ट्रेट को अपील ट्रिब्यूनल बना दिया गया है।
- एस.एस.पी. वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले दिशा–निर्देशों के तहत उचित कदम उठाएंगें।
- वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक 13 सदस्यी समिति का गठन भी किया गया है।
- 7 समझौता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, 1 अक्टूबर 2010)

महिलाओं के लिए केवल महिला पुलिसकर्मी

जल्दी ही गुजरात पुलिस ने 30 और महिला थाना स्थापित करने की घोषणा की है जिनमें से 12 को गृह विभाग ने स्वीकृत भी कर लिया है। राज्य डी.जी.पी. ने बताया कि प्रत्येक थानों में 25–40 महिला कांस्टेबल और सब–इंसपेक्टर कार्यरत होंगी।

12 स्वीकृत थाने कुछ महीनों में ही काम करना शुरू कर देंगे। इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन महिला थानों में बाल अपराध युनिट भी स्थापित किया जाएगा और इसके लिए पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से संबंधित कानूनों पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

गुजरात पुलिस की आम महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाने की यह कोशिश जहां सराहनीय है वहीं इससे महिला पुलिसकर्मियों के काम के माहौल में कोई खास फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। यह भी सही है कि केवल महिलाओं को महिला थानों में नियुक्त करने से उनकी संख्या शायद वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ जाए लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि महिला पुलिसकर्मियों को पुलिसिंग की मुख्य धारा में लाया जाए अर्थात् उन्हें जांच के काम सौंपे जाएं, फील्ड के दूसरे कार्यों में समान रूप से जिम्मेदारी दी जाए तथा पुरूष पुलिसकर्मियों को महिलाओं से संबंधित मामलों से संवेदनशीलता से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाए।

ऐसा न हो कि महिला से संबंधित मामला है तो महिला ही उसे देखने के लिए सक्षम मानी जाए और पुलिसिंग के बाकी दूसरे सभी कामों के लिए पुरूष को ही उपयुक्त समझा जाता रहे। लिंग वरीयता से हटकर पुलिसिंग के सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी को सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

महिला थानों की स्थापना का मकसद अगर महिलाओं को बेहतर सुविधा पहुंचाना है तो वह महिला और पुरूष पुलिसकर्मी समान रूप से करने में सक्षम होने चाहिए। यह भी सम्भव है कि साधारण थानों में ही महिलाओं के लिए एक अलग से 'हेल्प डेस्क' बनाया जाए। 'महिलाओं के लिए महिला पुलिसकर्मी' के सिद्धांत से जहां महिला पुलिसकर्मियों के मन में अलगाव की भावना बनी रहेगी वहीं आम महिलाओं के मन में पुरूष पुलिस की असंवेदनशील छवी भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

(सौजन्यः इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, 4 अक्टूबर 2010)

पुलिस का उपहार अपराध–मुक्त जीवन

सीराजुल मूल्ला उर्फ़ शेरा डकैतों का गैंग लीडर रहा है जिसने आज से दस साल पहले पश्चिम बंगाल के उत्तरकुसुम और कानपूर गांव में लूटपाट मचाया था। उसे आदरणीय जीवन व्यतीत करने के लिए पुलिस ने एक यंत्रचालित वैन भेंट की।

पिछले दस सालों से वह इस काम को छोड़ चुका था और एक आम नागरिक की तरह वैन रिक्शा चला कर जीवन यापन कर रहा है। इसका श्रेय उस समय के उष्ठी थाना के ओ.सी. श्री अरींदाम अचार्य को जाता है जिन्होंने शेरा को उसके गैंग के साथ दिसम्बर 2000 में पहली बार गिरफ्तार किया था। उनकी पहल के कारण ही एक डकैत अपराधों को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सका था। अचार्य ने शेरा की एक नई शुरूआत करने की ईच्छा को पूरा किया था। उन्होंने उसकी ज़मानत और कोर्ट की पेशी के बाद आर्थिक मदद के लिए कई समारोह आयोजित करके फन्ड इकट्ठा किया था। हांलाकि अपराध छोड़ने के उसके निर्णय से नाखुश होकर उसके साथियों ने उस पर हमला भी किया था जिसमें उसका दांया पैर घायल हो गया था। उस समय एक व्यापारी ने भी उसकी मदद की थी। तब से अब तक शेरा ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। अपने जीवन यापन के लिए मिस्त्री और मज़दूर की तरह भी काम किया। उसे चोट लगने के कारण वैन रिक्शा चलाने में काफ़ी दिक्कत आती थी लेकिन पुलिस की इस भेंट से उसे उम्मीद है कि वह काम आसानी से करके अपनी आमदनी बढ़ा सकेगा और पांच बच्चों के साथ उसका जीवन और सुखी हो जाएगा।

पुलिस अगर अपने सामाजिक दायित्वों का ठीक से निर्वाह करे तो अपराध और अपराधियों को कम करने में निशिचत रूप से मदद मिल सकती है। अगर ओ.सी. श्री आचार्य ने शेरा का साथ न दिया होता तो समाज में न जाने कितने और अपराधों का आंकड़ा बढ़ा हुआ होता।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, 31 अक्टूबर 2010)

हम लोक पुलिस के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में प्रकाशित करेंगें। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादकः ज़ीनत मलिक, बी–११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली:११००१७, भारत
टेलीः +९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्सः +९१ ११ २६८६ ४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org